न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 82/22

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थीगण
1 सुरज मल भाटी पुत्र ताराचंद जाति माली निवासी बास गढी कुआं ताउसर, नागौर।
फर्मः– मैसर्स बालाजी सुपर मार्केट, ब्रहमपुरी नागौर।
2 रूपेश पुत्र चंचलमल निवासी हीरावाडी नागौर।
फर्मः– मैसर्स श्री करणी गृह उद्योग, लोढो का चौक, नागौर।
3 मनीला पत्नी राहूल कोठारी निवासी 130 पुष्पपानी, बी–2 रोड पावटा जोधपुर कचेडी जोधपुर 342006
फर्मः– मैसर्स पार्श्वनाथ इम्पेक्ट, प्लॉट नम्बर 368 हनुवंत ए गली नम्बर 1 बीजेएस कॉलोनी मटकी चौराहा, पावटा रोड जोधपुर।
4 मैसर्स पार्श्वनाथ इम्पेक्ट, प्लॉट नम्बर 368 हनुवंत ए गली नम्बर 1 बीजेएस कॉलोनी मटकी चौराहा, पावटा रोड जोधपुर।

दिनांक :11.02.2023

आदेश

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 20-06-2022 को मैसर्स बालाजी पुपर मार्केट, ब्रहमपुरी नागौर पर खाद्य पदार्थ शरबत (कोठारी ब्राण्ड) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1940 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/869/एक्ट/2022/730 दिनांक 29.06.22 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ शरबत (कोठारी ब्राण्ड) मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण सुरज मल भाटी पुत्र ताराचंद जाति माली निवासी बास गढी कुआं ताउसर, नागौर, रूपेश पुत्र चंचलमल निवासी हीरावाडी नागौर, मनीला पत्नी राहूल कोठारी निवासी 130 पुष्पपानी, बी–2 रोड पावटा जोधपुर कचेडी जोधपुर 342006 तथा मैसर्स पार्श्वनाथ इम्पेक्ट, प्लॉट नम्बर 368 हनुवंत ए गली नम्बर 1 बीजेएस कॉलोनी मटकी चौराहा, पावटा जोधपुर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थीगण को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 14-11-22 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण ने दिनांक 11.02.23 को अपना जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अप्रार्थी संख्या 01 ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी दुकान से शरबत (कोठारी ब्राण्ड) का सैम्पल लिया जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त शरबत मैं मैंसर्स श्री करणी गृह उद्योग, लोढो का चौक, नागौर से खरीदा गया था। भविष्य में शरबत खरीदते एवं बेचते समय ऐसी गलती नहीं करूंगा। अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने जवाब में बताया की खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स बालाजी सुपर मार्केट, ब्रहमपुरी नागौर से शरबत का सैम्पल लिया था जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त शरबत मेरी फर्म द्वारा ही बेचा गया था तथा उक्त शरबत मेरी फर्म द्वारा मैसर्स पार्श्वनाथ इम्पेक्ट, बीजेएस कॉलोनी मटकी चौराहा, पावटा रोड जोधपुर से खरीदा गया था। भविष्य में शरबत खरीदते एवं बेचते समय ऐसी गलती नहीं करूंगा। अप्रार्थी संख्या 03 व 04 ने अपने जवाब में बताया की खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मैसर्स बालाजी सुपर मार्केट, ब्रहमपुरी नागौर से शरबत का सैम्पल लिया था जो जांच में मिसब्राण्ड होना पाया गया। उक्त शरबत हमारी फर्म द्वारा मैसर्स करणी गृह उद्योग, लोढो का चौक, नागौर को बेचा गया था। भविष्य में शरबत बेचते समय ऐसी गलती नहीं करूंगा। अप्रार्थीगण ने लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया तथा दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या क्रमांक एलएस/869/एक्ट/2022/730 दिनांक 29.06.22 के अनुसार खाद्य पदार्थ शरबत (कोठारी ब्राण्ड) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया। इसलिये अप्रार्थीगण को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी संख्या 01 सुरज मल भाटी पुत्र ताराचंद जाति माली निवासी बास गढी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)

कुआं ताउसर, नागौर रूपये 10,000/— अक्षरे दस हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 02 रूपेश पुत्र चंचलमल निवासी हीरावाडी नागौर रूपये 10,000/— अक्षरे दस हजार रूपये तथा अप्रार्थी संख्या 03 मनीला पत्नी राहूल कोठारी निवासी 130 पुष्पपानी, बी–2 रोड पावटा जोधपुर कचेडी जोधपुर 342006 एवं अप्रार्थी संख्या 04 मैसर्स पार्श्वनाथ इम्पेक्ट, प्लॉट नम्बर 368 हनुवंत ए गली नम्बर 1 बीजेएस कॉलोनी मटकी चौराहा, पावटा जोधपुर पर संयुक्त रूप रूपये 20,000/— अक्षरे बीस हजार रूपये कुल रूपये 40,000/— अक्षरे चालीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थीगण को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थीगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थीगण निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहते है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)